न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(बईजलास श्री भवंर लाल मेहरा, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल.आर. संख्या 16/2018 जिला–नागौर

1. तहसीलदार, मेड़ता

–––अपीलार्थी

बनाम

1. शरद शर्मा पुत्र श्री दिनेश चन्द्र जाति ब्राहम्ण निवासी मोकलपुर हाल निवासी विद्याधर नगर जयपुर जिला जयपुर।

––––प्रत्यर्थी

–––

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956,
विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी, मेड़ता दिनांक 19–4–2017
अन्तर्गत राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 189/2016
बउनवान शरद शर्मा बनाम राज0 सरकार

––––

उपस्थित– 1. श्री आकाश पारीक राजकीय अभिभाषक अपीलार्थी
2. श्री सहदेव चौधरी, अभिभाषक प्रत्यर्थी

निर्णय

दिनांकः: 04–07–22

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मेड़ता के समक्ष राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत राजस्व रेकार्ड में नाम दुरूस्ती हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसे उन्होंने अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 19–4–2017 द्वारा स्वीकार कर मौजा मोकलपुर के पुराने नामान्तरकरण संख्या 2466 ए की पूर्व की स्थिति बहाल कर राजस्व रेकार्ड में अंकन करने के आदेश पारित कर दिये। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील Subject to Limitation दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

अपीलार्थी के विद्वान राजकीय अभिभाषक द्वारा प्रार्थना–पत्र धारा–5 पर कथन किया है कि अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी के विरूद्ध एक अपील माननीय न्यायालय

में प्रस्तुत की है जो बहुत ही मजबूत आधारो पर होने के कारण सफलता मिलने की पूरी आशा है। प्रस्तुत प्रकरण में माननीय न्यायालय ने अपीलार्थी को उक्त निर्णय व डिक्री की विस्तृत जानकारी निर्णय की नकल लेने पर पूर्णरूप से हुई तथा उक्त प्रकरण में जिला कलक्टर नागौर से विधिक राय प्राप्त कर अपीलार्थी को उक्त प्रकरण में प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब सद्भाविक कारणों के रहते हुआ है, इस कारण देरी को क्षमा किया जाकर प्रस्तुत अपील को अन्दर मियाद किये जाने हेतु निवेदन किया।

प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपीलार्थी के अधिवक्ता की मियाद के बिन्दु पर बहस का जवाब देते हुए निवेदन किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मियाद अधिनियम की धारा–5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जावे। मियाद हेतु छूट चाहने बाबत कोई ठोस कारण अंकित नहीं किया गया है। मियाद में छूट चाहने बाबत ठोस कारण अंकित करने चाहिए थे। मियाद में छूट चाहने हेतु प्रतिदिन बाबत संतोषजनक कारण अंकित किया जाना चाहिए। इस प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मियाद के छूट के प्रार्थना पत्र में ऐसा नहीं किया गया है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

हमने विद्वान अपीलार्थी राजकीय अधिवक्ता की मियाद के बिंदु पर दिये गये तर्को पर गौर किया एवं इसी संबंध में माननीय उच्च न्यायालय एंव राजस्व मण्डल द्वारा समय–समय पर प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसार प्रकरण की मेरिट पर विचार करना कानून एवं विधि की मांग होने से अपीलार्थी द्वारा बहस के दौरान मियाद अधिनियम की धारा–5 के तहत प्रस्तुत वास्तविक स्थिति के मध्येनजर प्रकरण प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जाता है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

अपीलार्थी के विद्वान राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान मुख्य–मुख्य तर्क दिये कि खतौनी मौजा मोकलपुर फरगना जोधपुर गर्वनमेन्ट के सम्वत् 2000 खाता संख्या 443 के कॉलम संख्या 2 में डोली बनाम मंदिर श्री ठाकुरजी व बएतमाम पुजारा मथुरादास बेटो गिरधर दास जाति साद बासी गांवरो खसरा नम्बर पुराना 392, 393, 394, 1345, 1348, 1352 व 1353 रेकार्ड में दर्ज है। उक्त रेकार्ड के बाद भू–प्रबन्ध नहीं हुआ है।

उनका यह भी तर्क है कि जमाबंदी सम्वत 2014 से 2017 के खाता संख्या 488 में व जमाबंदी चौसाला सम्वत 2018 से 2021 में खातेदार कॉलम में डोली बनाम मंदिर श्री ठाकुरजी व बएतमाम पुजारा मथुरादास बेटो गिरधर दास जाति साद बासी गांवरो खसरा नम्बर पुराना 392, 393, 394, 1345, 1348, 1352 व 1353 रेकार्ड में दर्ज है जबकि जमाबंदी चौसाला सम्वत 2022 से 2025 के खाता संख्या 327 में खातेदार भीकमदास पुत्र रंगलाल कौम साद साकिन देह के नाम दर्ज है। जबकि जमाबंदी चौसाला 2018 से 2021 में खाता परिवर्तन का किसी प्रकार का

कोई इन्द्राज नहीं है। पुराना खसरा नम्बर 1352 रकबा 15 बीघा किस्म बारानी 3 व खसरा नम्बर 1353 रकबा 19 बीघा 19 बिस्वा के नये खसरा नम्बर 1165 रकबा 2.43 हैक्टेयर व 1166 रकबा 3.23 हैक्टर नवीन भू–प्रबन्ध द्वारा कायम किये गये जो आज दिन तक मंदिर बनाम ठाकुरजी की खातेदारी में दर्ज है।

उनका यह भी तर्क है कि उपखण्ड अधिकारी मेड़ता द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 189/2016 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19–4–2017 से खसरा नम्बर 1165 रकबा 2.43 हैक्टर व 1166 रकबा 3.23 हैक्टर की खातेदारी भीकमदास पुत्र रंगलाल के फौत होने पर उनके वारिसों के नाम खातेदारी घोषित की गई जो निरस्त योग्य है।

उनका यह भी कथन है कि जमाबंदी चौसाला सम्वत् 2018–21 में तो खातेदारी डोली बनाम मंदिर श्री ठाकुर जी के नाम है जबकि जमाबंदी चौसाला 2022–25 में खातेदारी भीकमदास पुत्र रंगलाल कौम साद साकिन देह के नाम दर्ज है। जमाबंदी सम्वत 2018–21 में बिना कोई खाता परिवर्तन के 2022–25 में खातदारी भीकमदास पुत्र रंगलाल के नाम दिया जाना विधिसम्मत नहीं है। इस प्रकार उक्त भूमि का वास्तविक खातेदार डोली बनाम मंदिर श्री ठाकुर जी ही है। चूकि अधीनस्थ न्यायालय ने सम्वत 2018–21 में पुजारा मथुरादास बेटो गिरधरदास जाति साद को उप कृषक माना है जो कि पूरी तरह से तथ्यो से परे व निराधार है क्योंकि उक्त जमाबदी सम्वत 2018–21 में स्पष्टतः पुजारा शब्द लिखा गया है और पुजारा द्वारा खातेदारी का दावा किया जाना विधिसम्मत नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 19–4–2017 खारिज योग्य है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मेड़ता द्वारा पारित आदेश दिनांक 19–4–2017 अपास्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक की उक्त बहस का जवाब देते हुए प्रत्यर्थी के अधिवक्ता ने कथन किया कि ग्राम मोकाला की सरहद में खसरा नम्बर 1352 रकबा 15 बीघा, खसरा नम्बर 1353 रकबा 19 बीघा 19 बिस्वा की जमीन प्रत्यर्थी शरद शर्मा के दादा भीकमदास पुत्र रंगलाल की खातेदारी की काश्त व कब्जा शुदा भूमि थी। प्रत्यर्थी के दादा भीकमदास का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अमल में आने के दिन काश्त व कब्जा होने से जोधपुर गवर्नमेन्ट द्वारा सम्वत 2000 को जब पर्चा खतौनी ग्राम मोकलपुर परगना मेड़ता का पट्टा तैयार किया तब खसरा नम्बर 1352 व 1353 की भूमि के साथ अन्य खसरान की भूमि का जो तत्कालीन जागीरदार डोली नाम मंदिर श्री ठाकुर जी के नाम गलत रूप से दर्ज थी उस मिसल बन्दोबस्त यानि जोधपुर गर्वनमेन्ट द्वारा जारी खतौनी में कैफियत के कॉलम में उक्त खसरान की जमीन का बापी पट्टा जारी होना मानकर कैफियत में उस समय प्रकरण दर्ज होना मानकर उक्त भूमि डोली बनाम मंदिर श्री ठाकुर जी की भूमि न होने से पट्टा प्रत्यर्थी के दादा भीकमदास के नाम जारी कर राजस्व रेकार्ड जमाबंदी सम्वत 2022 से 2022 में प्रत्यर्थी के दादा के नाम दर्ज की और तब

से लगातार प्रत्यर्थी के दादा भीकमदास का कब्जा काश्त व उपयोग उपभोग चला आ रहा है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने के दिन भी प्रत्यर्थी के ददा भीकमदास का उक्त खसरान की भूमि पर काश्त व कब्जा था और राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने से पूर्व भी प्रत्यर्थी के दादा का कब्जा काश्त व उपयोग उपभोग था। राजस्व रेकार्ड गिरदावरी में भी निरन्तर दर्ज है। भीकमदास के स्वर्गवास के बाद प्रत्यर्थी के पिता दिनेश चन्द का कब्जा काश्त था और उनके स्वर्गवास के पश्चात प्रत्यर्थी का शांतिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। जिसके बाबत प्रत्यर्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सम्पूर्ण राजस्व रेकार्ड प्रस्तुत किया गया जिसके अवलोकन पश्चात अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो विधिसम्मत है।

उनका यह भी तर्क है कि खसरा नम्बर 1352 रकबा 15 बीघा के नए सेटलमेंट में खसरा नम्बर 1165 रकबा 2.43 हैक्टर कायम किये गये है व खसरा नम्बर 1353 रकबा 19 बीघा 19 बिस्वा के नये खसरा नम्बर 1166 रकबा 3.23 हैक्टर कायम किये गये है इस संबंध में कोई विवाद नहीं है। प्रत्यर्थी के पिता दिनेशचन्द के नाम खातेदारी का इन्द्राज नामान्तरकरण संख्या 2341 दर्ज होने के बाद बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के व बिना रेकार्ड का अवलोकन किये ही नामान्तरकरण संख्या 2466 ए के द्वारा प्रत्यर्थी के पिता के नाम दर्ज खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1352 व 1353 की जमीन अन्य खसरान के साथ मंदिर श्री ठाकुर जी महाराज के नाम खातेदारी का इन्द्राज कर दिया जबकि अन्य खसरान की भूमि के संबंध में उक्त आदेश जो देव स्थान विभाग का नोट लगाकर दर्ज हुआ है जबकि देवस्थान विभाग के द्वारा जारी परिपत्र के आधार पर प्रत्यर्थी के पिता दिनेश चन्द के नाम दर्ज खातेदारी इन्द्राज को निरस्त नहीं किया जा सकता है क्योंकि देव स्थान विभाग के द्वारा पारित उक्त आदेश को माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा निरस्त कर दिया गया है और माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर की एस.बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 722/05 के निर्णय के अनुसार अन्य खसरान की भूमि जो मंदिर श्री ठाकुर जी महाराज के नाम दर्ज थी वह पुनः गलत दर्ज हो जाने से हटा दी गई और संबंधित खातेदार भंवरूराम पुत्र प्रहलादराम के नाम खातेदारी दर्ज कर दी गई। उक्त दोनों नामान्तरकरण की नकले भी साथ मे पेश है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय बहाल रखा जाने हेतु निवेदन किया गया।

उनका यह भी तर्क है कि प्रत्यर्थी के पिता दिनेशचन्द के नाम दर्ज खातेदारी इन्द्राज को बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के मूर्ति मंदिर श्री ठाकुर जी महाराज के नाम राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प/12(22)देव/91 दिनांक 6–3–2003 की अनुपालना में नामान्तरकरण संख्या 2466–ए के जरिये दर्ज कर दी गई मगर उक्त परिपत्र के खण्डन में पुनः राजस्थान सरकार ने अपना एक परिपत्र राजस्व ग्रुप–6 विभाग प.क–3(2)राज–6/2007/14 जयपुर दिनांक 24–5–2007 को जारी किया गया जिसमें स्पष्ट निर्देश दिये गये कि उक्त परिपत्र दिनांक 6–3–2003 के द्वारा गलत रूप से यानि उसमें बताए बिन्दुओं की जांच में

अगर प्रकरण नहीं आता है तो पुनः रेकार्ड दुरूस्त करने के आदेश दिये गये। उक्त परिपत्र दिनांक 24–5–2007 में वर्णित दिशा निर्देशों की अनुपालना में प्रत्यर्थी अपने कब्जे काश्त एवं पुश्तैनी खातेदारी की वादग्रस्त भूमि को अपने खातेदारी में पुनः दर्ज करवाने का कानूनन अधिकारी है। उक्त परिपत्रों की अनुपालना में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो उचित है।

उनका यह भी तर्क है कि प्रत्यर्थी की उक्त वर्णित पुश्तैनी कब्जे काश्त एवं खातेदारी की वादग्रस्त आराजियात कभी भी राजस्व रेकार्ड में मर्ति मंदिर श्री ठाकुर जी की खुदकाश्त भूमि नहीं रही है। राजस्व अभिलेख में खिलाफ कब्जा एवं कानूनन मंदिर मूर्ति श्री ठाकुर जी के नाम इन्द्राज दर्ज किया गया है। इसी कारण वादग्रस्त भूमि हाल खसरा नम्बर 1165 व 1166 की भूमि की रेकार्ड दुरूस्ती की जाकर प्रत्यर्थी ने अपने पिता दिनेश चन्द पुत्र भीकमदास के नाम पूर्व में दर्ज खातेदारी के इन्द्राज को बहाल करवाकर उनके विधिक उत्तराधिकारी प्रत्यर्थी व उनकी बहन शालीनी शर्मा व उसकी माता संतोष शर्मा तीनो के नाम खातेदारी का इन्द्राज करवाने हेतु प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जिन्होंने कानूनी प्रावधानों के अनुरूप ही वैधानिक तौर पर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 19–4–2017 पारित कर प्रत्यर्थी की अपील स्वीकार की है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी व प्रत्यर्थी की आपसी सहमति के आधार पर ही निर्णय दिनांक 19–4–2017 पारित किया है इस कारण अपीलार्थी को अपील पेश करने का कानूनी अधिकार नहीं है। ऐसी स्थिति में उपखण्ड अधिकारी, मेड़ता द्वारा पारित आदेश दिनांक 19–4–2017 विधिसम्मत है। अतः अपीलार्थी की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैंने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की सुनी बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख एवं दस्तावेजात का अवलोकन व अध्ययन किया जिससे यह स्पष्ट होता है कि मौजा मोकलपुर फरगना जोधपुर गोरमेन्ट के सम्वत् 2000 खाता संख्या 443 के कॉलम संख्या 2 में डोली बनाम मंदिर श्री ठाकुरजी व बएतमाम पुजारा मथुरादास बेटो गिरधर दास जाति साद बासी गांवरो खसरा नम्बर पुराना 392, 393, 394, 1345, 1348, 1352 व 1353 रेकार्ड में दर्ज है। उक्त रेकार्ड के बाद भू–प्रबन्ध की कार्यवाही नहीं हुई है।

जमाबंदी सम्वत 2014 से 2017 के खाता संख्या 488 में व जमाबंदी चौसाला सम्वत 2018 से 2021 में खातेदार कॉलम में डोली बनाम मंदिर श्री ठाकुरजी व बएतमाम पुजारा मथुरादास बेटो गिरधर दस जाति साद बासी गांवरो खसरा नम्बर पुराना 392, 393, 394, 1345, 1348, 1352 व 1353 रेकार्ड में दर्ज है जबकि जमाबंदी चौसाला सम्वत 2022 से 2025 के खाता संख्या 327 में खातेदार भीकमदास पुत्र रंगलाल कौम साद साकिन देह के नाम दर्ज है। जबकि जमाबंदी चौसाला 2018 से 2021 में खाता परिवर्तन का किसी प्रकार का कोई इन्द्राज नहीं है। पुराना खसरा नम्बर 1352 रकबा 15 बीघा किस्म बारानी 3 व खसरा नम्बर 1353 रकबा 19 बीघा 19 बिस्वा के नये खसरा नम्बर 1165 रकबा 2.43 हैक्टेयर व

1166 रकबा 3.23 हैक्टर नवीन भू–प्रबन्ध द्वारा कायम किये गये जो आज दिन तक मंदिर बनाम ठाकुरजी की खातेदारी में दर्ज है। जमाबंदी सम्वत 2018–21 मे बिना कोई खाता परिवर्तन के 2022–25 में स्व0 भीकमदास पुत्र रंगलाल को खातेदारी अधिकार किस आदेश से दिये गये है जबकि भूमि के वास्तविक खातेदार डोली बनाम मंदिर श्री ठाकुर जी है।

राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर क परिपत्र दिनांक 11–6–2021 में उल्लेखित है कि मंदिर माफी की वह भूमि जिसके संबंध में 1952 अधिनियम के लागू होने के समय के राजस्व अभिलेख में यदि वह भूमि मंदिर मूर्ति खुद काश्त के नाम दर्ज थी, तो ऐसी भूमि मे खातेदारी अधिकार मंदिर मूर्ति में निहित होते है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15–7–2015 में यह अभिनिर्धारित किया है कि मंदिर मूर्ति स्वयं काश्त करने में सक्षम नहीं होने से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रयोजन से शाश्वत अवयस्क नहीं है। इस निर्णय में माननीय न्यायालय द्वारा यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि मंदिर मूर्ति का शास्वत अवयस्क मान भी लिया जावे तो भूमि मंदिर निरन्तर धारित नहीं कर सकती है, मंदिर मूर्ति की भूमि शेवायत/पुजारी से भिन्न व्यक्ति को काश्त हेतु दिये जाने की स्थिति में उसक कृषक को 1952 अधिनियम की धारा 9 के अनुसार खातेदरी के अधिकार प्राप्त होते है। मंदिर के पुजारी/शेवायत या ट्रस्ट की प्रास्थिति ''केयरटेकर मैनेजर'' की होती है उन्हें खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते है।

यहं यह भी उल्लेखनीय है कि रिज्मेंशन एक्ट 1952 के तहत मंदिर, मूर्ति या भगवान के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज भूमि को डोली की भूमि कहा जाता है। मंदिर के पुजारी या उस जमीन के रखरखाव करने वाले व्यक्ति को जीविकोपार्जन के लिए उस जमीन पर खेती करने का अधिकार ही प्राप्त होता है उसको भूमि के खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते है। राज्य सरकार ने मंदिर माफी की जमीनों पर पुजारियें को बिजली–पानी के कनेक्शन का अधिकार दिया है। इसके अलावा वे ऐसी जमीनों पर कृषि अनुदान लेने के लिए भी पात्र है पूर्व में ऐसे अधिकार प्रदत्त नहीं थे। राजस्व विभाग द्वारा इस संबंध में परिपत्र जारी किया है जिसमे सभी तहसीलदारों के निर्देश दिये गये थे कि वे 1991 से लेकर आज तक पुजारियों और उनके उत्तराधिकारियों के नाम तहसील स्तर पर तैयार करे। इस परिपत्र के अनुसार 13 दिसम्बर 1991 को जारी परिपत्र के अनुसार जमाबंदी में मंदिर मूर्ति के साथ पुजारियों के नाम 13 दिसम्बर 1991 से लेकर अब तक अलग से रखे गए रजिस्टर में दर्ज किये जायेंगे। हालांकि इन पुजारियों और उनके उत्तराधिकारियों को जमीन की खरीद, बिक्री और रहन करने का अधिकार नहीं होगा, पुजारी केवल भूमि का प्रबन्धन कर सकेंगे। परिपत्र के अनुसार मंदिर भूमि पर अतिक्रमण का मामला पुजारी या पटवारी द्वारा ध्यान में लाये जाने पर तहसीलदार अतिक्रमी के विरूद्ध उसी प्रकार कार्यवाही करेंगे जैसे राजकीय भूमि पर अतिक्रमी के विरूद्ध की जाती है। चूंकि प्रत्यर्थी द्वारा धारा 136 राज0 भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत मौजा मोकलपुर के खसरा नम्ब 1165 रकबा 2.43 हैक्टर व 1166 रकबा 3.23 हैक्टर की जमीन डोली बनाम मंदिर श्री ठाकुर जी के स्थान पर प्रत्यर्थी व

शालीनी शर्मा पुत्री दिनेश चन्द व संतोष शर्मा पत्नी दिनेश चन्द के नाम खातेदारी का इन्द्राज किया जाकर रेकार्ड दुरूस्त करने हेतु प्रार्थना पत्र अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मेड़ता के समक्ष प्रस्तुत किया गया जबकि उक्त धारा 136 के अन्तर्गत एक सीमित क्षैत्राधिकार सक्षम अधिकारी को दिये गये है जिसके अन्तर्गत राजस्व रेकार्ड में हुई लिपीकीय त्रुटि जो कि दोनों पक्ष की सहमति से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दुरूस्त करवाई जा सकती है। प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित आराजियात डोली बनाम मंदिर श्री ठाकुरजी की खुद काश्त की भूमि की खातेदारी अधिकार दिनेश चन्द पुत्र भीकमदास कौम साद एवं भीकमदास पुत्र रंगलाल कौम साद का अंकन पुराने नामान्तरकरण संख्या 2466 ए की पूर्व की स्थिति बहाल कर राजस्व रेकार्ड में अंकन करने के आदेश पारित कर दिये जो विधिसम्मत नहीं है क्योंकि उक्त प्रकरण राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रस्तुत किया है जिसमें केवल लिपिकीय त्रुटि जो देखने मात्र से सिद्ध होती हो को ही दुरूस्त की जा सकती है। उक्त प्रकरण मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 136 के तहत प्रत्यर्थी के पिता दिनेशचन्द पुत्र भीकमदास के नाम खातेदारी अधिकार प्रदान कर दिये जो उचित नहीं है। प्रत्यर्थी सक्षम न्यायालय में नियमित वाद दायर कर ही अनुतोष प्राप्त कर सकता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मेड़ता द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 19–4–2017 त्रूटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी की यह अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मेड़ता द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 19–4–2017 अन्तर्गत राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 189/2016 बउनवान शरद शर्मा बनाम तहसीलदार त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 04–07–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवंर लाल मेहरा)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर